दहेज के लिए की थी पत्नी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मोनिका भारद्वाज (वर्तमान में एडिशनल सीपी)

पंकज कुमार रंगा एडिशनल पी.पी.

अशोक त्यागी तत्कालीन एसीपी

दीपक सैनी तत्कालीन एसएचओ

राजेंद्र मीणा इंस्पेक्टर

मनोज कुमार प्रणामी

नई दिल्ली। मामला दिल्ली से है जहाँ दहेज के कारण अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

आज से तकरीबन 4 दशक पहले दहेज के कारण हत्या की वारदातें अक्सर सुनने को मिला करते थे लेकिन धीरे-धीरे इसमें वक्त के साथ कमी आती गई। वर्ष 2019 में भी थाना रूप नगर में एक ऐसा ही मामला आया था जिसमें शिकायतकर्ता महिला द्वारा बताया गया था कि वह मूलत: बुलंदशहर की रहने वाली है और खेतीबाड़ी का काम करती है। उसके पांच बच्चे हैं और उसने अपनी एक बेटी सुमन की शादी 10-07-2019 को सचिन से की थी जो दिल्ली के थाना रूप नगर अंतर्गत इलाके में रहता है और मूलत: बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बेटी की शादी में दहेज अपनी हैसियत के अनुसार दिया था और शादी के बाद सचिन मेरी बेटी के साथ 10-15 दिन अपने गांव बदायूं में रहने चला गया था और फिर वापिस शक्ति नगर दिल्ली में अपनी झुग्गी में आ कर रहने लगा था। दिवाली से कुछ दिन पहले सचिन उसकी बेटी के साथ अलग झुग्गी में रहने चला गया था। दिवाली से 10 दिन पहले उसकी बेटी सुमन ने बताया था कि उसके पेट में दर्द है और सचिन ने उसे डाक्टर के पास नहीं ले गया जिससे उसका उपचार हो सके। इसके बाद शिकायतकर्ता महिला द्वारा सचिन को फोन कर सुमन के उपचार करवाने के लिए कहा गया था लेकिन सचिन ने यह कह कर मना कर दिया कि उसके पास उपचार के लिए पैसे नहीं हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता महिला अपनी बेटी को लेकर बुलंदशहर चली गई थी जहां सचिन कुछ दिन बाद उसे लेने आया था। शिकायतकर्ता महिला की बेटी सुमन ने अपनी माँ को बताया था कि सचिन पचास हजार रुपये की माँग कर रहा था जिससे वह एक ई-रिक्शा खरीद सके। सचिन ने कई बार सुमन और उसके माता-पिता से कम दहेज देने की बातें किया करता था जिसके लिए वह अक्सर सुमन को परेशान किया करता था। दिनांक 10-11-2019 को सचिन जब अपने ससुराल बुलंदशहर गया था तब वहाँ भी फिर कम दहेज की बातें करने लगा था। अगले दिन सचिन जिद कर सुमन को वापिस दिल्ली ले आया था। अगले दिन जब शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी से उसका हालचाल पूछने के लिए फोन किया था तो उसे पता चला था कि सचिन द्वारा फिर झगड़ा किया गया था और जब डाक्टर के पास वह हॉस्पिटल में उपचार के गई थी तो सुमन की जांच करने पर डाक्टरों द्वारा उसके पेट की सफाई करने से मना कर दिया गया था उनके द्वारा पहले कहा गया था कि पुलिस में शिकायत के बाद ही वह पेट की सफाई कर पाएंगे, जिसके बाद सचिन उसे वापिस झुग्गी में ले आया था। सुमन उस समय गर्भवती थी और सचिन द्वारा झगड़ा करने के कारण उसका बच्चा गिर गया था। सुमन ने अपनी माँ को फोन पर भी बताया था कि सचिन कह रहा था कि तुझे जान से मारकर ही कोई पुलिस केस बनवाऊंगा। कुछ देर बाद ही सचिन की माँ ने सुमन के फोन से शिकायतकर्ता महिला को फोन कर बताया कि सुमन ने कुछ कर लिया है और फोन काट दिया था जिसके बाद उनके द्वारा फोन किए जाने के बाद किसी ने भी फोन पिक नहीं किया था और वह बुलंदशहर से दिल्ली आ गए थे रास्ते में फोन मिलते रहे और एक बार सचिन ने फोन उठा कर कहा था कि सुमन ने कुछ खा लिया है और बेहोश है जिसे वह लोग दीपचंद हॉस्पिटल उपचार के लिए ले आए हैं। शिकायतकर्ता महिला भी अपने पति के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी जहाँ उसने सुमन के सिर पर घाव देखे थे और उपचार के दौरान सुमन की मृत्यु हो गई थी। थाना रूप नगर में मामला 0173/ 2019 दिनांक 15-11-2019 दर्ज हुआ था। जाँच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेंद्र मीणा को बनाया गया था, जब वह टीम के साथ झुग्गी में पहुंचे थे तो जमीन पर खून के बहुत निशान मिले थे। तत्कालीन डीसीपी मोनिका भारद्वाज (वर्तमान में एडिशनल सीपी) के सुपरविजन और तत्कालीन एसीपी अशोक त्यागी (वर्तमान में रिटायर) के मार्गदर्शन और तत्कालीन एसएचओ / इंस्पेक्टर दीपक सैनी के नेतृत्व में जाँच में तेजी लाई गई थी। जाँच अधिकारी टीम संग सचिन की झुग्गी में पहुंचे थे और सबूत इकट्ठा करने लगे। टीम द्वारा सचिन को पूछताछ के लिए पकड़ा गया था और उसकी निशानदेही पर नजदीकी पार्क से रिक्शा का वह पार्ट भी बरामद किया था जिससे आरोपी ने सुमन के माथे पर वार किया था और खून से लथपथ कपड़े भी बरामद किए थे। एफ.एस.एल. जाँच में यह भी पुष्टि हो गई थी कि वारदात में प्रयुक्त जो रिक्शा का पार्ट बरामद किया था और जो उस पर खून लगा था वह मृतका सुमन के खून से मिलान हो गया था। टीम द्वारा सभी सबूत कोर्ट में पेश किए गए थे ताकि आरोपी सचिन को सजा दिलवाई जा सके। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के बाद एडिशनल पीपी पंकज रंगा द्वारा भी कोर्ट से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की माँग की गई थी। सुनवाई और बहस के बाद मिले सबूतों के बाद एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र कुमार खरता ने आरोपी सचिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही सैक्रेटरी डी.एल.एस.ए. को आदेश दिया कि सुमन के परिवार को जिसने यह दर्द झेला है उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करे। अपनी दिल्ली परिवार द्वारा समाज को एक सुझाव देना बेहतर समझता है कि हम सबको मिल इस दहेज की समस्या को जड़ से दूर करना पड़ेगा ताकि फिर कोई सुमन इस तरह से मरने ना पाए। अपने बच्चों को शिक्षित करने के साथ-साथ उन्हें यह शिक्षा भी जरूर दें कि यह कभी भी ना तो दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। यही युवा देश का भविष्य है जो आने वाले कल के देश का भविष्य होंगे।

पुराने मोबाईल फोन के पुर्जों को नई बॉडी में लगाकर बेचने वाले पांच आरोपियों को थाना करोल बाग मध्य जिला की टीम ने किया गिरफ्तार

निधिन वल्सन-डीसीपी

अपनी दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। मामला दिल्ली से है जहां टीम ने पुराने मोबाईल फोन से पुर्जे निकालकर उन्हें नई बॉडी में लगाकर बेचने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीसीपी मध्य जिला निधिन वल्सन ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन साइबर हॉक के तहत अपराध पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही थी, जिसके तहत एक टीम का गठन किया गया।

टीम, जांच, पूछताछ और गिरफ्तारी

एसीपी करोल बाग के मार्गदर्शन और एस.एच.ओ. करोल बाग के नेतृत्व में एस.आई. भूपेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल दीपक, मनोज, मंजीत, नरेंद्र, कांस्टेबल कमलजीत, कौशल और सुनील को लेकर टीम का गठन किया गया था।

टीम आला अधिकारियों के मिले निर्देशानुसार साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही थी। साइबर अपराध बिना मोबाईल फोन के कर पाना लगभग असंभव है इसी को ध्यान में रखते हुए टीम काम कर रही थी और करोल बाग जिसे इलेक्ट्रॉनिक बाजार और मोबाईल का सबसे बड़ा हब बताया जाता है यह भी ध्यान में रखे थे।

तकरीबन 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद दिनांक 20-11-2025 को टीम को अपने सूत्रों से जानकारी हाथ लगी कि बीडनपुरा करोलबाग में एक फैक्टरी चल रही है जिसमें पुराने मोबाईल फोन के पुर्जों को निकाल कर नई बॉडी में असेम्बल किया जाता है और सॉफ्टवेयर की मदद से उसका आईएमईआई नंबर भी बदल दिया जाता है और उसके बाद वह मोबाईल फोन बाजार में बिकने के लिए आ जाते हैं। मिली जानकारी पुख्ता करने के बाद टीम द्वारा वहाँ रेड की गई। जहां कई संदिग्ध पुराने मोबाईल से पुर्जे निकाल उसे नए फोन के लिए असेम्बल कर रहे थे। टीम द्वारा संदिग्धों को जाँच और पूछताछ के लिए पकड़ गया। जांच और पूछताछ में टीम को पता चला कि वहाँ पुराने मोबाईल फोन के पुर्जे निकालने के बाद नए मोबाईल का रूप देने के लिए एक नई मोबाईल फोन की बॉडी लगाई जाती थी जहां फोन को असेम्बल करने के बाद स्पेशल सॉफ्टवेयर के जरिए उस मोबाईल फोन का आईएमईआई नंबर बदल दिया जाता था और फिर उन असेम्बल मोबाईल फोन को पैक कर बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता था। मोटा मुनाफा कमाने के लालच में यह सारा खेल चल रहा था। टीम द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिनकी पहचान अशोक कुमार निवासी ककरोला दिल्ली (फैक्टरी के मालिक), रामनारायण निवासी तिलक नगर दिल्ली, धर्मेन्द्र कुमार निवासी मोती नगर दिल्ली, दीपांशु निवासी मंडावली दिल्ली और दीपक निवासी महावीर नगर दिल्ली के रूप में हुई। **बरामदगी :** 1826 मोबाईल फोन, आईएमईआई नंबर बदलने के लिए लैपटॉप, आईएमईआई सॉफ्टवेयर, आईएमईआई स्कैनिंग डिवाईस, हजारों मोबाईल फोन की बॉडी और पुर्जे, हजारों की तादाद में प्रिंटेड आईएमईआई लेबल, फोन को असेम्बल करने के कई औजार इत्यादि।

खबर लिखे जाने तक टीम द्वारा मामले पर आगे की कार्यवाही जारी थी।

पुलिस चौकी न्यू सब्जी मंडी, थाना महेन्द्रा पार्क की टीम ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार

भीष्म सिंह-डीसीपी

एसीपी राजबीर सिंह लाम्बा

इंस्पेक्टर विजय शानवाल

एस आई सचिन

अपनी दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। पुलिस चौकी न्यू सब्जी मंडी, थाना महेन्द्रा पार्क की टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि दिनांक 25-11-2025 को एसीपी राजबीर सिंह लाम्बा के मार्गदर्शन, इंस्पेक्टर विजय शानवाल के नेतृत्व में एसआई सचिन, हैड कांस्टेबल दया राम व कांस्टेबल दशरथ शाम के समय गश्त कर रहे थे।

गश्त के दौरान पीर बाबा गेट, मंडी आजादपुर, नई दिल्ली के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। जब उसे रुकने का संकेत दिया गया, तो उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम की सतर्कता से उसे थोड़ी दूरी तक पीछा कर काबू कर लिया गया। जांच करने पर उसके बैग से चार चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद हुए। बाद में उसकी पहचान श्याम, निवासी मेट्रो विहार होलम्बी कलां, नई दिल्ली के रूप में हुई।

सत्यापन के दौरान पता चला कि सभी चारों मोबाइल फोन थाना महेन्द्रा पार्क क्षेत्र से चोरी किए गए थे। पूछताछ में आरोपी ने कई अपराध करना स्वीकार किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की अन्य मामलों में संभावित संलिप्तता की जांच जारी है।

हैड कांस्टेबल दया राम

कांस्टेबल दशरथ

'नन्ही मुस्कान 2.0' : जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन ने वजीरपुर के दो एमसीडी स्कूलों की जिम्मेदारी 3 वर्षों के लिए संभाली

अपनी दिल्ली संवाददाता

नई दिल्ली। एमसीडी विद्यालय, वजीरपुर, दिल्ली में 'नन्ही मुस्कान 2.0' कार्यक्रम का भव्य और सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड के सौजन्य से तथा जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित किया गया। उल्लेखनीय है कि यह विद्यालय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के 'विद्यांजलि' कार्यक्रम के अंतर्गत फाउंडेशन द्वारा 3 वर्षों के लिए गोद लिया गया है, जिसके तहत विद्यालय के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने नृत्य, गीत, कविताओं और विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का मनमोहक प्रदर्शन किया। बच्चों के आत्मविश्वास और ऊर्जा ने सभी अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने बच्चों की प्रतिभा की बहुत प्रशंसा की और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं।

कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों को टोपी, मोज़े, स्वेटर और खाद्य सामग्री वितरित की गई। साथ ही विद्यालय को कुर्सियाँ, दरियाँ, डस्टबिन भेंट किए गए तथा स्कूल परिसर में पौधारोपण कर विद्यालय को अधिक हरित एवं स्वच्छ बनाने की पहल की गई।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित संजय जिंदल, निदेशक, इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अरुण जिंदल ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

विशिष्ट अतिथियों में शामिल रहे योगेश वर्मा (निगम पार्षद, केशव पुरम), डॉ. दिव्या जैन (एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवान्स स्टडीस), श्रीमती पूनम जैन (समाजसेविका), अरविंद भारद्वाज (मुख्य संपादक दिल्ली न्यूज़ 7), श्रीमती सोनिया गर्ग (समाजसेविका), संजय बलूनी (अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन), श्री बंसी लाल शाह (प्रधानाचार्य), विद्यालय के सभी शिक्षक एवं फाउंडेशन के सभी सदस्य कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष ने बताया कि विद्यालय को गोद लेने के बाद से अब तक कई सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में अनुशासन, उपस्थिति, स्वच्छता और शैक्षिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फाउंडेशन का उद्देश्य न केवल बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराना है, बल्कि उनकी समग्र व्यक्तित्व विकास यात्रा में निरंतर सहयोग देना है।

अतिथियों द्वारा यह भी कहा गया कि नन्ही मुस्कान जैसा कार्यक्रम बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को मंच देता है। ऐसे अवसर उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं और उनकी सीखने की क्षमता को नई दिशा प्रदान करते हैं।

कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, शिक्षकों और फाउंडेशन के सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे बच्चों तक शिक्षा और अवसर पहुँचाना ही सच्चा राष्ट्र निर्माण है।

थाना आदर्श नगर की पैट्रोलिंग टीम द्वारा एक शातिर आरोपी गिरफ्तार

भीष्म सिंह-डीसीपी

योगेन्द्र खोखर-एसीपी

इंस्पेक्टर लव अत्रेय

अपनी दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। थाना आदर्श नगर पैट्रोलिंग टीम ने शातिर आरोपी का गिरफ्तार करने में सफलता हासिकल की है।

डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि दिनांक 25-11-2025 को एसीपी योगेंद्र खोखर व इंस्पेक्टर लव अत्रेय के मार्गदर्शन में हैड कांस्टेबल सीताराम व हैड कांस्टेबल अमित पैट्रोलिंग ड्यूटी पर थे।

जब वे मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचे, तो उन्हें एक स्कूटी सवार व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में दिखाई दिया। रोकने का संकेत देने पर वह भागने लगा, सतर्क पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान शिवम उर्फ काटी उर्फ कार्तिक के रूप में हुई।

आरोपी के पास मिली स्कूटी थाना सब्ज़ी मंडी में दर्ज एफआई आर के तहत चोरी की थी। तलाशी लेने पर उसके पास से एक बटनदार चाकू बरामद हुआ। आगे जांच में स्कूटी की डिग्गी से 03 मोबाइल फोन बरामद हुए, 02 छीने गए और 01 चोरी का। पूछताछ में आरोपी ने वर्तमान तथा एक अन्य मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। सत्यापन के दौरान पाया गया कि आरोपी 08 आपराधिक मामलों में पहले से शामिल है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह नशे व शराब की लत को पूरा करने के लिए यह कार्य करता है। आरोपी की अन्य मामलों में संभावित संलिप्तता की जांच जारी है।